पुलिस आदेश संख्या.....03....../2017

विषय –: **सीधे नियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण हेतु पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में –:**

पुलिस अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण(Basic Training) हेतु पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के बिन्दु पर पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से पूर्व में पुलिस आदेश सं0–269/99, 296/2010 एवं अन्य सुसंगत आदेश/निदेश निर्गत हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, बी0पी0आर0एण्ड डी0 के दिशा--निर्देशों एवं अन्य राज्यों में प्रभावी पाठ्यक्रमों के अध्ययनोपरान्त बिहार पुलिस अकादमी द्वारा बिहार पुलिस को अद्यतन, सुसंगत, समसामयिक एवं सक्षम बनाने के उदेश्य से कतिपय अनुशंसाएँ की गई हैं।

तदनुसार, पुलिस आदेश सं0–269/99 एवं 269/2010 को विलोपित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कालांश एवं पूर्णांक निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है–

1. अवर निरीक्षकों के अधिष्ठापन प्रशिक्षण के सम्पूर्ण कार्यकम की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है–

क.	विवरण	अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि (12 माह)	365 दिन
2	रविवार एवं अवकाश	82 दिन
3	जीरो वीक की अवधि	06 दिन
4	परीक्षा, दीक्षान्त परेड का अभ्यास एवं आकस्मिक कार्यों के लिए निर्धारित अवधि	34 दिन
5	स्टडी टूर	06 दिन
6	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कुल दिन	237 दिन
7	कालांश प्रतिदिन (अन्तः विषय 06 कालांश, वाह्य विषय 05 कालांश)	11 कालांश
	कुल कालांशों की संख्या	**2607**

2. पुनरीक्षित पाठ्यक्रम– पुलिस बल के उन्नयन एवं कौशल संवर्धन हेतु अन्तः विषयों एवं बाह्य विषयों के पाठ्यक्रम में कतिपय नये बिन्दुओं को समाहित करते हुए कालांश, पूर्णांक एवं समय सारिणी को पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है, जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है।
3. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया है, जो परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है।
4. संस्था स्तर पर आयोजित की जानेवाली मध्यावधि परीक्षा एवं पुलिस अकादमी स्तर पर केन्द्रीय रूप से आयोजित की जानेवाली अंतिम परीक्षा हेतु सुस्पष्ट सिद्धान्त निरूपित किया गया है, जो परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।

तदनुसार आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण हेतु संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत निर्धारित की जाती है –:

(a) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यकम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सारिणी के अनुरूप परिशिष्ट–04 से 18(संलग्न) के अनुसार निर्धारित किया जाता है–

क. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग कालांश	सम्पूर्ण योग अंक	परिशिष्ट (संलग्न)
1	ए–आधुनिक भारत में पुलिस	20 } 65	25	04
	बी–पुलिस संगठन एवं प्रशासन	45	75	05, 05A
2	भारतीय दण्ड संहिता	80	100	06
3	दण्ड प्रक्रिया संहिता	100	100	07
4	ए–भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50 } 90	60	08
	बी–संविधान एवं मानवाधिकार	40	40	08A
5	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	140	150	09
6	ए–विधि विज्ञान (फारेन्सिक साईंस)	80	100	10

	बी–विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेंसिक मेडिसिन)	40 / 120	50	10A
7	अनुसंधान	135	150	11
8	पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण	105	100	12
9	लोक शांति व्यवस्था का रख रखाव	100	100	13
10	अपराध शास्त्र	40	50	14
11	अनुसंधान–प्रयोगात्मक कार्य	100	100	15
12	ए–मानव व्यवहार	35	45	16
	बी–प्रबंधन	40	55	16A
13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण – प्रयोग एवं उपयोगिता	100	100	17
14	पुलिस रेग्यूलेशन / नियम / मैनुअल	100	100	18
	योग	1350	1500	

(b) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (विषय), कालांश एवं पूर्णांक निम्न सारिणी के अनुरूप परिशिष्ट–19–29 (संलग्न) के अनुरूप निर्धारित किया जाता है।

क्र. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग		परिशिष्ट (संलग्न)
		कालांश	अंक	
1	शारीरिक प्रशिक्षण	150	125	19
2	ड्रिल (पदादि प्रशिक्षण)	150	125	20
3	शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)	150	125	21
4	फील्ड क्राफ्ट एण्ड टैक्टिस, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	150	100	22
5	निशस्त्र लड़ाई (यू0ए0सी0)	40	30	23
6	योगासन	40	50	24
7	विस्फोटक	30	25	25
8	ड्राइविंग	60	50	26
9	तैराकी	40	20	27
10	घुड़सवारी	50	25	28
11	बाधा कोर्स	40	25	29
12	खेलकूद–जिम	100	0	29
	योग	1000	700	

प्रस्तुत आदेश गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार के पत्र संख्या–3465, दि0–26.04.2017 द्वारा अनुमोदित है।

अनुलग्नक–परिशिष्ट 01 से 29 तक।

23/6/17

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 7473 /पी0–2
7–23–10–2009
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना। 27-6-17
पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि –:

1. प्रधान सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

परिशिष्ट–01

पुलिस अवर निरीक्षकों का आधारभूत अधिष्ठापन प्रशिक्षण (Basic Training) अध्ययन एवं मूल्यांकन

क.	विषय	कालांश	अंक
1	अन्तः कक्षीय	1100	1500
2	वाह्य प्रशिक्षण	1000	700
3	कैप्सूल कोर्स	150	–
4	संवेदीकरण मॉडयूल्स	105	–
5	राज्य विशिष्ट विषय	172	–
6	प्रधानाचार्य का आकलन	–	100
7	विशेषज्ञों के व्याख्यान / सेमिनार / वर्कशॉप	80	–
	कुल योग	2607	2300

(ii) अन्तः कक्षीय प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम, कालांश एवं अंक वितरण आदि

क. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	ए–आधुनिक भारत में पुलिस	20	25
	बी–पुलिस संगठन एवं प्रशासन	45	75
2	भारतीय दण्ड संहिता	80	100
3	दण्ड प्रकिया संहिता	100	100
4	ए–भारतीय साक्ष्य अधिनियम	50	60
	बी–संविधान एवं मानवाधिकार	40	40
5	स्थानीय एवं विशेष अधिनियम	140	150
6	ए–विधि विज्ञान (फारेन्सिक साईस)	80	100
	बी–विधि चिकित्सा शास्त्र (फारेंसिक मेडिसिन)	40	50
7	अनुसंधान	135	150
8	पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण	105	100
9	लोक शांति व्यवस्था का रख रखाव	100	100
10	अपराध शास्त्र	40	50
11	अनुसंधान–प्रयोगात्मक कार्य	100	100
12	ए–मानव व्यवहार	35	45
	बी–प्रबंधन	40	55
13	कम्प्यूटर प्रशिक्षण – प्रयोग एवं उपयोगिता	100	100
14	पुलिस रेग्यूलेशन /नियम /मैनुअल	100	100
	योग	1350	1500

(iii) वाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के कालांश एवं अंक–योजना

क. सं.	विषय	सम्पूर्ण योग	
		कालांश	अंक
1	शारीरिक प्रशिक्षण	150	125
2	ड्रिल (पदाधि प्रशिक्षण)	150	125
3	शस्त्र प्रशिक्षण (रात्रि फायरिंग सहित)	150	125
4	फील्ड काफ्ट एण्ड टैक्टिस, मैप रीडिंग एवं रूट मार्च	150	100

5	निशस्त्र लड़ाई (यू0ए0सी0)	40	30
6	योगासन	40	50
7	विस्फोटक	30	25
8	ड्राइविंग	60	50
9	तैराकी	40	20
10	घुडसवारी	50	25
11	बाधा कोर्स	40	25
12	खेलकूद–जिम	100	0
	योग	1000	700

(iv) अ0नि0 अधिष्टापन प्रशिक्षण में संपुट विषयों (Capsule Course) का पाठ्यक्रम :

क.	विषय	कालांश
1	सामुदायिक पुलिसिंग	10
2	अभिसूचना एकत्रीकरण–सर्विलेन्स आदि पर व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित	15
3	पूछताछ की विद्या	10
4	न्यायालय की कार्य प्रणाली	10
5	थाना का निरीक्षण	10
6	भूराजस्व अभिलेखों एवं नियमों से परिचय	10
7	संवाद कौशल, मीडिया प्रबंधन एवं नेगोसिएशन स्किल्स	20
8	आपदा प्रबन्धन	15
9	इलेक्ट्रोनिक सर्विलेन्स	10
10	मानव व्यापार	10
11	स्पीडी ट्रायल एवं अपील, जमानत रद्दीकरण, रिहाई की समीक्षा, प्रिवेंसन ऑफ मनी लाउड्रींग एक्ट, सम्पत्ति का समपहरण एवं विशेष न्यायालय, आर्थिक अपराध, ट्रैप कांड	20
12	वैज्ञानिक अनुसंधान की पद्धति : वैश्विक परिदृश्य	10
	योग	150

- सम्पुट विषयों की कक्षाओं का आयोजन इनसे संबंधित सैद्धांतिक कक्षाओं के विषयों के साथ–साथ किया जायेगा। सम्पुट विषयों से संबंधित विशेषज्ञों एवं इन विषयों से संबंधित पदाधिकारियों एवं विभाग को सम्पुटिका अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रकिया; व्याख्यान, व्यवहारिक प्रदर्शन (Demo) काण्ड अध्ययन (Case study) की व्यवस्था की जायेगी। संपुटिका का अध्यापन विषयों के व्यवहारिक महत्व, उपयोगिता एवं कौशल वृत्ति विकाश के परिपेक्ष्य में किया जायेगा।

(v) संवेदीकरण मॉड्यूल (प्रशिक्षण)

क. सं.	विषय	कालांश
1	लिंग संवेदीकरण	05
2	जाति एवं साम्प्रदायिक विवादों में पुलिस की भूमिका	05
3	स्वास्थय एवं एड्स	10
4	अपराध पीड़ित के साथ व्यवहार	05
5	जनता के साथ व्यवहार–क्या करें और क्या न करें	05
6	गैर सरकारी (समाज सेवी) संगठनों से समन्वय	05

7	जेल : कार्य पद्धति तथा भ्रमण	08
8	न्यायालय : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
9	जिला पुलिस कार्यालय : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
10	पुलिस केन्द्र : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
11	पुलिस थाना : कार्यपद्धति तथा भ्रमण	08
12	जिलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय का भ्रमण	05
13	वृद्ध आश्रम का भ्रमण	05
14	महिला आश्रम (रिमांड होम) का भ्रमण	05
15	बाल गृह का भ्रमण	05
16	अभियोजन कार्यालय का भ्रमण	05
17	चिकित्सालय/शव विच्छेदन गृह का भ्रमण	05
	योग	105

(vi) दैनिक समय सारिणी

अन्तः विषय			वाह्य विषय		
क्र. सं.	समय	कालांश	क्र. सं.	समय	कालांश
1	09.30 से 10.10 बजे तक	प्रथम	1	06.00 से 06.40 बजे तक	प्रथम
2	10.10 से 10.50 बजे तक	द्वितीय	2	06.45 से 07.25 बजे तक	द्वितीय
3	10.50 से 11.30 बजे तक	तृतीय	3	16.00 से 16.45 बजे तक	तृतीय
4	11.30 से 12.10 बजे तक	चतुर्थ	4	16.50 से 17.30 बजे तक	चतुर्थ
5	12.10 से 12.25 बजे तक	मध्यान्तर	5	17.35 से सूर्यास्त	खेल
6	12.25 से 13.05 बजे तक	पंचम	नोट – ऋतु के अनुसार वाह्य विषय समय सारिणी परिवर्तनीय है।		
7	13.05 से 13.45 बजे तक	षष्टम			

परिशिष्ट–02
प्राचार्य मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश

प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन हेतु 100 अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार है –

(अ) 50 अंक प्रशिक्षुओं की अन्तः एवं वाह्य विषयों के प्रशिक्षण में ली गई रूचि, खेल–कूल, विभिन्न गतिविधियों के निर्वहन के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित है –

i)– प्रशिक्षण की मध्यावधि परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर – 35 अंक

1. विशेष योग्यता 75% से उपर अंक प्राप्त करने पर – 35 अंक
2. प्रथम श्रेणी 60% से 74.99% तक अंक प्राप्त करने पर – 30 अंक
3. द्वितीय श्रेणी 50% से 59.99% तक अंक प्राप्त करने पर – 20 अंक
4. तृतीय श्रेणी 40% से 49.99% तक अंक प्राप्त करने पर – 10 अंक

ii)–प्रशिक्षण के दौरान खेलों के लिए अधिकतम अंक – 10 अंक

iii)–विशेष गतिविधियों के लिए अधिकतम अंक – 05 अंक

1. कक्षा मॉनीटर – 05 अंक
2. टोली कमाण्डर – 03 अंक
3. मेस मैनेजर – 02 अंक
4. सांस्कृतिक गतिविधियाँ – 02 अंक

नोट – कक्षा मॉनीटर, टोली कमाण्डर का चयन मध्यावधि परीक्षा में प्राप्त श्रेष्ठताकम के आधार पर किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु द्वारा एक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया गया है तो भी उसे अधिकतम 05 अंक ही दिए जायेगें।

(ब) प्रधानाचार्य के विवेकाधीन शेष 50 अंक प्रशिक्षार्थी के अन्तः एवं वाह्य विषयों के ज्ञान के आंकलन, प्रशिक्षण में ली गई रूचि, अनुशासन, प्रशिक्षण के मध्य प्राप्त पुरूस्कार तथा कर्त्तव्यनिष्ठा इत्यादि को ध्यान में रखकर साक्षात्कार के उपरान्त दिए जायेगें।

(स) निम्नलिखित प्रकार के अनुशासनहीनता के दृष्टान्तों पर उक्त अंकों में से अधिकतम 25 ऋणात्मक अंक किए जायेंगे।

1. विलम्ब से आगमन, अनुपस्थिति, निर्धारित अवकाश से अधिक अवकाश, सिक, रेस्ट, अस्पताल दाखिल 1/2 अंक प्रतिदिन की दर से अधिकतम – 10 अंक
2. गम्भीर अनुशासनहीनता – 07 अंक
3. अवज्ञा – 05 अंक
4. आदेश कक्ष (ओ0आर0) में दण्ड – 02 अंक
5. डिफाल्टर /चेतावनी – 01 अंक

परिशिष्ट–03

परीक्षा एवं मूल्यांकन संक्षेप

1– संस्था स्तर पर छः माह के प्रशिक्षण के पश्चात् अन्तः विषयों एवं वाह्य विषयों की एक 400 अंकों की मध्यावधि परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस परीक्षा में 300 अंक की अन्तः विषयों की एवं 100 अंकों की वाह्य विषयों की परीक्षा होगी। अन्तः विषयों में 150 अंक एवं 150 प्रश्न प्रत्येक के दो वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटा होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में छः माह की अवधि तक पढाये गये सम्पूर्ण विषयों के आधे–आधे विषयों का समानुपातिक मिश्रण होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेणी के आधार पर अनुपातिक दर से प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन के अंकों में अधिकतम 45 अंक दिये जायेगें।

2– पुलिस अकादमी द्वारा केन्द्रीय रूप से अन्तिम परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। अन्तः विषयों की अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ 50 प्रतिशत(Objective) तथा 50 प्रतिशत आत्मनिष्ठ(Subjective)प्रकार की होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा को छोड़कर सभी पेपर वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रतिदिन दो प्रश्न पत्र आयोजित कराये जायेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मूल्यांकन अकादमी द्वारा प्रयोगात्मक परीक्षा के समय ही कर लिया जायेगा। इस हेतु अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी। यदि प्रशिक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित है, तो भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं हेतु पूर्ण दायित्व अकादमी का होगा।

3– प्रशिक्षण के 12 वें माह में अन्तिम परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसका संक्षेप में निम्नानुसार निर्धारण किया गया है :–

अन्तकक्षीय परीक्षायें	–1500 अंक
वाह्यकक्षीय प्रशिक्षण	–700 अंक
प्रधानाचार्य का आंकलन	–100 अंक
योग	–2300 अंक

4– उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं वाह्य विषयों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5– उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः एवं वहय विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(अ) परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षु उप–निरीक्षक का पूरक प्रशिक्षण एवं परीक्षा पुलिस आदेश संख्या–238/93 के अनुरूप करायी जायेगी। प्रशिक्षण/परीक्षा उन्हीं विषयों की कराई जायेगी, जिसमें वे अनुत्तीर्ण रहें हो।

(ब) परीक्षा में कदाचार करते हुए पकडे जाने पर प्रशिक्षु की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त मानी जाएगी और बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

परिशिष्ट–04

आधुनिक भारत में पुलिस, पुलिस संगठन एवं प्रशासन

आधुनिक भारत में पुलिस

अंक–25

कालांश–20

1– एक कल्याणकारी राज्य में आदर्श पुलिस कार्यशैली

2– वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुलिस की परिवर्तनशील भूमिका एवं पुलिस कार्य में व्यवहारगतत परिवर्तनों की आवश्यकता–बल उन्मुखता से सेवा उन्मुखता में रूपान्तरण

3– पुलिस कार्यों में वृत्ति–दक्षता (Professionalism)

4– पुलिस के लिए आचरण संहिता

5– **राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं भूगोल**

(क) आर्थिक

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पुलिस बजट

(ख) भारत का भूगोल (स्वाध्याय हेतु विषय)

- भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेश व उनकी राजधानियाँ
- भारत के मानचित्र की व्यवहारिक जानकारी तथा पडोसी देशों की सीमायें।
- प्राकृतिक भाग, मुख्य औद्योगिक नगर, रेलवे लाईन, सडक मार्ग, रेल मार्ग, मुख्य नदियाँ

(ग) पर्यावरण (स्वाध्याय हेतु विषय)

- पर्यावरण संरक्षण
- ग्लोबल वार्मिंग का ज्ञान

6– नागरिक प्रशासन में पुलिस की भूमिका एवं अन्य विभागों – जैसे चिकित्सा विभाग, जेल विभाग, शिक्षा विभाग, अनुमंडल, ब्लॉक डेवलेपमेंट अधिकारी, टेलीफोन, बिजली विभाग, नगर पालिका आदि के साथ संबंध संबध एवं उपयोगिता।

7– सामान्य जानकारी (स्वाध्याय हेतु विषय)

- पुलिस स्मृति दिवस
- अखिल भारतीय पुलिस डयूटी मीट
- उपलब्धियाँ तथा पुरस्कार
- विभिन्न खेल प्रतियोगिताये
- विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व
- विख्यात पुस्तकें
- नवीन राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय घटनाकम (स्वध्याय हेतु विषय)

8– कानून का शासन :–

- आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका
- राष्ट्रीय झण्डा प्रतीक एवं राष्ट्रीयगान का महत्व
- विध्वंसकारी ताकतों से राष्ट्रीय एकता एवं आखण्डता को चुनौतियाँ–साम्प्रदायिकता, रूढिवादिता, अतिवाद व आतंकवाद तथा चुनौतियों से मुकाबले में पुलिस की भूमिका।
- सामाजिक–आर्थिक समस्यायें और पुलिस की भूमिका
- राजनैनिक दल–क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय
- कम्यूनिटी पुलिसिंग की अवधारणा/पुलिस जनता साझेदारी

9– पुलिस सुधार

*इस पेपर के अन्तर्गत पढाये जानेवाले विषयों का फोकस राज्य केन्द्रीत होना चाहिए। राज्य के विभिन्न भागों से आनेवाले प्रशिक्षु राज्य में पुलिस के सम्मुख प्रचलित सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था के मुद्दों समझने में समर्थ होने चाहिए। उद्देश्य यह है कि पुलिस कर्म के सन्दर्भ में अधिकारीगण को उनकी आदर्श भूमिका समझायी जा सके।

परिशिष्ट–05A
प्रशासन

कालांश–15 **अंक–25**

1– केन्द्रीय सरकार का प्रशासनिनक ढांचा

2– राज्य सरकार का प्रशासनिक ढांचा

3– स्थानीय स्व–शासन (नागरीय एवं ग्रामीण)

4– जिला एवं उप सम्भागीय प्रशासनिक ढांचा। राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस के सम्बन्ध, न्यायपालिका, अभियोजन शाखा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण

5– पुलिस, आर्मी, नेवी एवं वायु सेना के पद एवं पद चिन्ह

6– प्रतिष्ठित व्यक्तियों, पुलिस, नागरिक, मिलिट्री एवं न्यायिक अधिकारियों के वाहनों के झण्डें/तारे/प्रतीक चिन्ह

7– गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

8– **पुलिस कर्म में समकालीन मुद्दे :–**

- राष्ट्रीय अखण्डता को आन्तरिक चुनौतियाँ
- जातिवार साम्प्रदायिकतावाद एवं रूढिवाद
- आतकवाद, युद्धप्रियता एवं वामपंथी उग्रवाद
- महिलाओं, बालकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराध – पुलिस की भूमिका
- लिंग संवेदीकरण
- महिला पुलिस एवं पुलिस कार्य में उनकी भूमिका
- कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न

• प्रशिक्षण की समाप्ति पर, अधिकारी को सरकार के प्रशासनिक ढांचे एवं पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

परिशिष्ट–06

भारतीय दण्ड संहिता

अंक–100

कालांश–80

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं अपराध की अवधारणा धारा 1 से 5

अध्याय 2–सामान्य व्याख्यायें धारा 10, 14, 21 से 30, 34, 44, 54, 52, 52ए

अध्याय 3–दण्ड धारा 53, 75

अध्याय 4–साधारण अपवाद धारा 76 से 106

अध्याय 5–दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षडयन्त्र धारा 107 से 109, 114

अध्याय 5–(क)–अपराधिक षडयंत्र 120ए, 120बी

अध्याय 6–राज्य के विरूद्ध अपराध धारा 121 से 124, 124ए

अध्याय 7–आर्मी, नेवी एवं एयर फोर्स से सम्बन्धित अपराध धारा 136, 140

अध्याय 8–लोक प्रशान्ति के विरूद्ध अपराध धारा 141 से 149, 151, 153ए, 153बी, 159, 160

अध्याय 9–लोक सेवकों से सम्बन्धित अपराध धारा 166, 166क(संशोधित) 170, 170

अध्याय 9–(क)–निर्वाचन से सम्बन्धित अपराध धारा 171ए, बी, सी, डी, ई

अध्याय 10–लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में धारा 174, 174क, 182 से 188

अध्याय 11–झूठा साक्ष्य, व्यक्तियों एवं न्याय के विरूद्ध अपराध धारा 191 से 193, 195क, 196, 201, 211,
212, 216, 216ए, 218, 223 से 225, 227, 228, 228एए 229ए

अध्याय 12–सिक्कों एवं सरकारी स्टाम्प से सम्बन्धित अपराध धारा 255 से 260, 263क

अध्याय 13–अध्याय 13 शून्य (बाट–माप से संबंधित है, जो पाठ्यकम में नहीं है)

अध्याय 14–लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता एवं सदाचार पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा 268 से
270, 272 से 276, 277, 278, 279, 283, 285, 289, 292, 293, 294

अध्याय 15–धर्म से सम्बन्धित अपराध धारा 295, 295क, 296, 297, 298

अध्याय 16–मानव शरीर पर प्रभाव डालनेवाले अपराध धारा 299 से 304, 304ए–बी, 306, 307, 308, 309,
313, 315, 317, 318, 319 से 326, 326क, 328, 330 से 333, 336 से 338, 339 से 342, 349 से
354, 354 ए,बी,सी,डी, (संशोधित), 356, 359 से 364, 364ए, 365, 366, 368, 370क, (संशोधित),
375, 376, 376 ए,बी,सी,डी(संशोधित) 377

अध्याय 17–सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध सम्पत्ति के न्यास भंग से सम्बन्धित अपराध छल, रिष्टि से संबंधित
अपराध धारा 378 से 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392 से 397, 398, 399, 401, 402, 405,
406 से 406, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 419, 420, 425, 429, 430,, 435, 436, 441 से 460

अध्याय 18–अभिलेखों, सम्पत्ति चिन्हों से सम्बन्धित अपराध एवं मुद्रा का कूटकरण धारा 463 से 465, 467,
468, 470, 471, 477क, 489 ए, बी, सी, डी, ई

अध्याय 19–अध्याय 19 शूनय (सेवा संविदाओं से संबंधित हैं, जो पाठ्यकम में नहीं है।)

अध्याय 20–विवाह से सम्बन्धित अपराध धारा 494, 495, 497, 498

अध्याय 20–(क)–पति या पति के नातेदार द्वारा कूरता के विषय में धारा 498ए

अध्याय 21–मान हानि के विषय में धारा 499

अध्याय 22–आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं अपराध कारित करने के प्रयास धारा 503, 509

अध्याय 23–अपराधों के करने के प्रयत्न में धारा 511

परिशिष्ट–07

दण्ड प्रकिया संहिता

अंक–100

कालांश–100

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1, 2 ए,बी,सी,डी,जी,एच,आई,के,एल,ओ,आर,एस,डब्ल्यू,एक्स,डब्ल्यूए
अध्याय 2–आपराधिक न्यायालय एवं अभियोजन इकाई धारा 6, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 25क
अध्याय 3–न्यायालय की शक्ति धारा 26, 28, 29, 30
अध्याय 4–पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की शक्तियाँ धारा 36 से 40
अध्याय 5–व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चिकित्सीय परीक्षण आदि 41 से 60 (गिरफ्तारी के संबंध में अद्यतन संशोधन सहित एवं भारत के सर्वोच्य न्यायालय द्वरा डी0के0 बसु एवं अन्य मामलों में गिरफ्तारी से सम्बन्धित निर्गत निर्देश)
अध्याय 6–उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 61 से 90
अध्याय 7–वस्तुएँ प्रस्तुत करने के लिए विवश करने वाली आदेशिकायें धारा 91,93 से 95,97,98,100,102,105
अध्याय 8–परिशान्ति एवं सदाचार बनाये रखने के लिए प्रतिभूति धारा 106 से 166
अध्याय 9–अध्याय 9 शून्य (भरण–पोषण से संबंधित है, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।)
अध्याय 10–लोक व्यवस्था एवं परिशान्ति बनाये रखना न्यूसेन्स हटाना धारा 129 से 132,, 133, 144, 145
अध्याय 11–पुलिस द्वारा रोकथाम की कार्यवाही धारा 149 से 151
अध्याय 12–पुलिस के लिए सूचना एवं अन्वेषण की शक्तियाँ धारा 154 से 176 (अद्यतन संशोधन सहित)
अध्याय 13–न्यायालयों की अधिकारिताधारा 177 से 183
अध्याय 14–आपराधिक कार्यवाहियाँ शुरु करने के लिए आवश्यक शर्तें धारा 190, 195, 195क से 199
अध्याय 15–मजिस्ट्रेट से परिवाद धारा 200, 202
अध्याय 16–मजिस्ट्रेट के सम्मुख कार्यवाही का प्रारम्भ धारा 204, 209
अध्याय 17–आरोप धारा 218, 219
अध्याय 18–18, 19, 20 एवं 21 शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।
अध्याय 21–(क)–प्ली बार्गेनिंग धारा 265क से 265च
अध्याय 22–कारागार में निरूद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के विषय में धारा 267 से 270
अध्याय 23–जांचों व विचारण में साक्ष्य से सम्बन्धित धारा 299
अध्याय 24–जांचों व विचारण के बारे में सामान्य प्रावधान धारा 306, 309
अध्याय 25–विकृत चित्त अभियुक्तों के बारे में धारा शून्य (पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं)
अध्याय 26–न्याय प्रशासन पर प्रभव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 345, 350
अध्याय 27–निर्णय धारा 360
अध्याय 28–मृत्यु दण्डादेश के बारे में धारा शून्य (पार्ठयक्रम में सम्मिलित नहीं है।)
अध्याय 29–अपीलें धारा 377, 378
अध्याय 30–30, 31 एवं 32 पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।
अध्याय 33–जमानत एवं बन्धपत्र से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 436, 436क, 437क से 441
अध्याय 34–सम्पत्ति का निस्तारण धारा 456 से 459
अध्याय 35–पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है।
अध्याय 36–विविध धारा 468, 473
अध्याय 37–प्रकीर्ण धारा 482 एवं परिशिष्ट 1 एवं 2 की जानकारी।

केस लॉ

1–नंदिनी सम्पति बनाम पी0एल0 दानी राज्य 1976 एससीसी पृष्ठ 424 अनुसंधानकर्ता के कर्त्तव्य
अनुसंधान पदाधिकारी किसी अभियुक्त/संदिग्ध पर शारीरिक/मानसिक एवं अन्य दबाव नहीं डलेगा एवं हिरासत के दौरान अभियुक्त विधिक सहायता हेतु विधि परामर्शी को बुला सकता है।

2–भगतंत सिंह बनाम पुलिस कमिश्नर 1985 एसीसी 246 (उच्चतम न्यायालय) एसीसी 2011 पृष्ठ 719 उच्चतम न्यायालय अन्तिम रिपोर्ट
अंतिम रिपोर्ट लगाये जाने के उपरान्त उसे न्यायालय द्वारा बिना रिपोर्टकर्ता का पक्ष सुने, स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह तथ्य इन विधि व्यवस्थाओं में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया है।

3–जसबन्त व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एसीसी 1994(31) पृष्ठ 425
मुल्जिम पक्ष द्वारा जमानत के समय वादी पक्ष के गवाहों के शपथ पत्र मान्य नहीं है।

4–रधुवीर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश(ए0आई0आर0 1995 पृष्ठ 216 उच्च न्यायालय इलाहाबाद)
यदि थानाध्यक्ष की गिरफ्तारी है तो उसका अधीनस्थ उ0नि0 इस वाद की अनुसंधान नहीं कर सकता

5–योगेन्द्र नाहक बनाम उडीसा राज्य (ए0आई0आर0 1999 च्चतम न्यायालय पृष्ठ 2565)

6–बाल चन्द्रन बनाम केरल राज्य (द्र0नि0पा0 पृष्ठ 2)
पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है और वह इस आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार नहीं कर सकता कि उसे यह सूचना उपर्युक्त या विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है।

7–राजस्थान राज्य बनाम एन0के0 एससीसी 2000 पृष्ठ 30 प्रथम सूचना में देरी
प्राथमिकी दर्ज करने में देरी किन परिस्थितियों में क्षम्य है, यह व्यवस्था इस निर्णय में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी है।

8–उ0प्र0 राज्य बनाम सुरेन्द्र त्रिपाठी आदि एसीसी 2001 पृष्ठ 726 (उच्च न्यायालय इलाहाबाद) विधि विरूद्ध कब्जा
विधि विरूद्ध अधिपत्य यदि मान्य है तब उसे संपत्ति के मालिक द्वारा भी बल प्रयोग करके नहीं निकाला जा सकता है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है।

9–सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (उम0नि0प0 2003 पृष्ठ 338)
पुलिस द्वारा अभिगृहित वस्तुओं को अनावश्यक रूप से या दीर्घावधि तक पुलिस थानों में नहीं पडे रहने देना चाहिए।

10–किशन पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एसीसी 2006 पृष्ठ 1015)
यद्यपि न्यायालय द्वारा अन्वेषण के प्रकम पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है तथापि समान रूप से ये भी सही है कि अन्वेषण अभिकर्ता को किसी समय सीमा के बिना अन्वेषण के निष्कर्ष को देर तक रोके रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

11–रीमा अग्रवाल बनाम अनुप 2004 सीआरएलजे 872 (एस0सी0)
विवाह अवैध होने पर भी दहेज हत्या के प्रकरण में धारा 304 बी के प्राविधान लागू होंगे।

12–विश्वनाथ बनाम जम्मू काश्मीर राज्य एआईआर 1983 (एससी)174
अस्थायी गबन भी गबन की श्रेणी में आता है।

13–बृज लालभर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006(55) एसीसी 864 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
यदि मामला थाने पर असंज्ञेय के रूप में दर्ज होता है और बाद में संज्ञेय मामलें की साक्ष्य प्राप्त होती है तो अनुसंधान करनेवाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से अनुसंधान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

14– महाराष्ट्र राज्य बनाम तापस डी0 नियोगी 1999 कि0लॉ0 ज0 4305 (एससी)
अभियुक्त द्वारा अपराध की कमाई से बैंक में जमा किया गया धन दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 102 के अन्तर्गत सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। अनुसंधान को अन्वेषण के दौरान ऐसे व्यक्ति का बैंक एकाउन्ट सीज करने व परिचालन बन्द करने का निर्देश बैंक अधिकारी को देने का अधिकार है।

15– शौकीन बनाम उ0प्र0 राज्य 2011 (75) एसीसी 763 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)
7 वर्ष तक की सजा के अपराधों में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 41 में दर्शाये गये आधारों का अनुपालन करना चाहिए।

16– अनीमी रेड्डी बैंकटरामन्ना बनाम पब्लिक प्रोसीक्यूटर, एचसी ऑफ एपी 2008(61) एसीसी 703एससी
यदि पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो बिना औपचारिक एफआईआरदर्ज किये उसका कर्त्तव्य है कि वह मौके पर जाकर घायलों की सुरक्षा प्रदान करें।

- उद्देश्य यह है कि अधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता के उन सुसंगत उपबन्धों से सज्जित कर दिया जाये, जिन्हें उसे अन्वेषण अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य के निर्वहन और न्यायालय एवं अभियोजन इकाई को न्यायिक कार्यवाहियों के मध्य सहायता प्रदान करते समय प्रयोग में जाना होता है।

परिशिष्ट–08
साक्ष्य अधिनियम, संविधान, मानवाधिकार
ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

कालांश–50 **अंक–60**

अध्याय 1–प्रस्तावना एवं परिभाषायें धारा 1 से 3
अध्याय 2–तथ्यों की सुसंगतता धारा 5 से 11, 14, 15
–स्वीकृतियाँ 17, 24 से 30
–मृत्युकालिक कथन धारा 32, 32(1)
–विशेषज्ञ की राय धारा 45, 45क, 47, 47क, 48
अध्याय 3–पाठयक्रम में सम्मिलित नहीं है।
अध्याय 4–मौखिक साक्ष्य के विषय में धारा 59, 60
अध्याय 5–अभिलेखीय साक्ष्य धारा 61, 62, 63 65क, 65ख, 67, 67क, 73क
अध्याय 6– पाठयक्रम में सम्मिलित नहीं है।
अध्याय 7–शील की सुसंगतता धारा 51, 53, 54, 61
अध्याय 9–सार्वजनिक एवं निजी अभिलेख धारा 73, 74, 75, 76
अध्याय 10–साक्ष्य का भार धारा 101 से 110
अध्याय 11–उपधारणा धारा 113ए, 13बी, 114ए
अध्याय 12–साक्षीगण धारा 118, 119
अध्याय 13–विशेषाधिकार पूर्ण संसूचना धारा 122 से 126
अध्याय 14–सह अपराधी धारा 133, 134
अध्याय 15–साक्षीगण का परीक्षण धारा 137, 138, 139, 141, 145, 146, 154, 155, 157, 159, 160 से 165

केस लॉ

1. सुनील व अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधाी क्षेत्र (दिल्ली राज्य) एसीसी 2001 पृष्ठ 223 (उच्चतम न्यायालय) धारा 27 सा0अधि0 की बरामदगी
   धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत पुलिस द्वारा की गई बरामदगी इस कारण अविश्वसनीय नहीं होगी कि अभिलेखों पर निष्पक्ष/स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर पुलिस ने नहीं कराये।
2. राजस्थान राज्य बनाम हनुमान एसीसी 2001 पृष्ठ 351 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन
   यदि घटना को साक्षी परिवारजन ही है तब भी उनकी साक्ष्य की ग्राहयता कितनी होगी, इस विधि व्यवस्था में मा0 सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाश डाला गया।
3. उकराम बनाम राजस्थान राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 972 (उच्चतम न्यायालय) मृत्युकालीन कथन
   मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में मृत्युकालीन कथन की ग्राहयता एवं कथन अंकित करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला गया है।
4. निसार अहमद बनाम बिहार राज्य एसीसी 2001 पृष्ठ 846 (उच्चतम न्यायालय) परिस्थितिजन्य साक्ष्य
   मा0सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विधि व्यवस्था में यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का क्या महत्व है एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दण्ड दिया जा सकता है।

➢ विभिन्न केस लॉ के संबंध में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों की जानकारी एवं ज्ञान।

- उदेश्य यह है कि अधिकारी साक्ष्यों की प्रकृति और न्यायालय में उनकी स्वीकार्यता समझ सके। विषय के अध्ययन में स्पष्टीकरण एवं उदाहरणों का समावेश किया जाना चाहिए ताकि अधिकारी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात मामले से सम्बन्धित सुसंगत साक्ष्य एकत्रित करने के योग्य हो सके।

परिशिष्ट–08A

बी. संविधान एवं मानव अधिकार

अंक–40

कालांश–40

1–भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना
2–कानून के शासन की अवधारणा
3–मौलिक अधिकार (आर्टिकल 12 से 35)
4–राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त (आर्टिकल 36 से 51)
5–मौलिक कर्तव्य
6–सशस्त्र बलों एवं पुलिस के अधिकारों का निर्बधन (आर्टिकल 33), आर्टिकल 226, केन्द्र एवं राज्यों के अधीन सेवा (आर्टिकल 308 से 311), सांसदो एवं विधायकों की शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार (आर्टिकल 105 से 194), परिशिष्ट 7–केन्द्रीय, राज्य एवं समवर्ती सूचिया
7–मानवाधिकारों की अवधारणा एवं उनका महत्व
8–मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा 1948
9–नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा
10–मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1993 (धारायें 2,3,4,5,12,13,14)
11–मानवाधिकारों एवं अपराध पीड़ित, परिवादी, साक्षी, अभियुक्त से व्यवहार विषयक विभागीय निर्देशों के मुद्दे पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय
12–मानवाधिकारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, महिलाओं, बालकों एवं अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोगों क कार्य एवं शक्तियॉ
13–अभिरक्षा में अपराधों की पुलिस अनुसंधान से सम्बन्धित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देश
14–मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस की भूमिका

- मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पुलिस के विरूद्ध सामान्य शिकायतें (केस स्टडीज)
- मानवाधिकारों की संरक्षक के रूप में पुलिस की छवि को सुधारने की आवश्यकता एवं पहल

केस लॉ

1. खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (ए0आई0आर0 1963 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 1925)

बिना किसी विधिक प्राधिकार के पुलिस कर्मियों द्वारा मात्र पर्यवेक्षण के नाम पर किसी व्यक्ति को धर में रात्रि के समय नियमित रूप से जाना और वहॉ जाकर उसकी उपस्थिति दर्ज करना स्पष्टतया उस व्यक्ति के जीवन व दैहिक स्वतंत्रता में एक अनुचित हस्तक्षेप है।

2. परमानन्द सिंह बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 2039)

एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कही अधिक मूल्यवान होता है।

3. नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (एम0सी0सी0 1993 पृष्ठ 746)

पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और इस दौरान राज्य के सेवकों अर्थात पुलिस कर्मियों द्वारा उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता हो तो ऐसी दशा में राज्य को अपने सेवकों द्वारा किए गए उक्त दोषपूर्ण कार्य के लिए उस नागरिक को प्रतिकर देना होगा।

4. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099 सिटिजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1993 एसमसीसी 743 हथकड़ी का प्रयोग

इन विधि व्यवस्थाओं में मा0सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के समय हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा।

5. दिलीप कुमार बसु (डी0के0 बसु) बनाम बंगाल राज्य 1997 एमसीसी 642 जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981 मानवाधिकार

इन विधि व्यवस्थाओं में मा0सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है।

6. विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान (एआईआर 1997 उच्चतम न्यायालय)

कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न रोके जाने विषयक कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न न किए जाने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश।

- नोट – 1. उद्देश्य मौलिक अधिकारों की संवैधानिक योजना के परिदृश्य से अवगत कराना है।
  2. प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी पुलिस कार्य हेतु मौलिक अधिकारों की पवित्रता को समझने में योग्य होना चाहिये और उसे इन मुद्दो पर दृष्टि रखने के लिए उत्तरदायी संवैधानिक प्राधिकारियों की जानकारी होनी चाहिए।

परिशिष्ट–09
स्थानीय एवं विशेष कानून

कालांश–140 अंक–150

केन्द्र के प्रमुख एक्ट

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
2. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
3. न्यूनतम मजदूरी (वेतन) अधिनियम, 1948
4. बन्धित श्रम व्यवस्था (उन्मूलन), अधिनियम, 1976 धारा 2 से 9, 22
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
6. विद्युत अधिनियम–2003 धारा 135 से 157 तक
7. भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989
8. पुलिस अधिनियम, 2007
9. पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966
10. पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अधिनियम, 1992
11. शासकीय गोपनीयता अधिनियम
12. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
13. राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी अधिनियम (एन0आई0ए0एक्ट)
14. न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971
15. किशोर न्याय (बालको की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा संशोधित अधि0 2006 (किशोर उपचार विषय हेतु)
16. प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स एक्ट, 1958 (दण्ड विज्ञान विषय हेतु)
17. अनैतिक व्यापार (निवारण), अधिनियम, 1956 (दुर्गुण विषय हेतु) तथा 1986
19. स्वापक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 वॉ) (दुर्गुण विषय हेतु)
20. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (घूस एवं भ्रष्टाचार विषय हेतु)
21. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932
22. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1985 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध विषय हेतु)
23. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005
24. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम, 1989 एवं संशोधित अधि0 2015
25. शस्त्र अधिनियम, 1959
26. विस्फोटक अधिनियम, 1884 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
27. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (आतंकवादियों से सम्बन्धित अपराध विषय हेतु)
28. विधि विरूद्ध किया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
29. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 सम्पूर्ण
30. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972
31. मोटर वाहन अधिनियम, 1988
32. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
33. सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति निवारण अधिनियम, 1984(भीड़ एवं अवैध समूह विषय हेतु)
34. तार यंत्र सम्बन्धी तार (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1985 सम्पूर्ण
35. रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 सम्पूर्ण
36. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 (कॉपी राइट एक्ट) धारा 2,3,14,52ए,63, 63क, 64, 65, 68क
36. चलचित्र अधिनियम 1952–धारा 2, 5क, 6क, 7, 10, 11, 13, 14
38. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993–सम्पूर्ण
39. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000–सम्पूर्ण तथा संशोधित अधिनियम 2008
40. राष्ट्रीय गरिमा के अपयनन का निवारण अधिनियम 1971–सम्पूर्ण
41. मानव अंगो का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994–सम्पूर्ण

42. धन शोधन अधिनियम–2002
43. गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग यचन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
44. राज्य द्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1966–धारा 2, 3, 5, 6, 8
45. बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम–2012
46. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम–1971
47. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध अधिनियम–1986)
48. आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955
49. विदेशी विषयक अधिनियम–1946

नोटः– प्रवक्ताओं द्वारा नवीनतम संशोधनों/केस लॉ का विशेष उल्लेख किया जायेगा।

राज्य के प्रमुख एक्ट

1. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981
2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993
3. बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981
4. बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वाहन नियंत्रण अधिनियम, 1955
5. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976
6 बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2006
7 डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999
8. दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1975
9. बिहार सामूहिक जुर्माना (अधिरोपण) अधिनियम, 1982
10. बिहार धुम्रपान प्रतिषेध (प्रदर्शन गृह) अधिनियम, 1954
11. बिहार सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1954
12. बंगाल सार्वजनिक द्युत (जुआ) अधिनियम, 1867
13. दंड प्रकिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1976
14. दंड प्रकिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1983
15. दंड प्रकिया संहिता (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1984
16. नवीन बिहार उत्पाद अधिनियम 2015 तथा 2016
17. बिहार आवश्यक सेवाएँ बनाए रखने का अधिनियम, 1947
18. ग्राम चौकीदारी अधिनियम, 1870
19. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2016

परिशिष्ट–10
विधि विज्ञान एवं विधि औषधि

कालांश–80 अंक–100

ए–विधि विज्ञान

1–विधि विज्ञान एवं अपराध अनुसंधान में इसकी भूमिका
2–विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य विशेषज्ञ संस्थान एवं पुलिस कार्य में उनकी उपयोगिता। विशेषज्ञ राय के सम्बन्ध में कानून (साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से 48, द0प्र0सं0 की धारा 293)
3–घटना स्थल का दृश्य और इसका रक्षण एवं परीक्षण
4–भौतिक साक्ष्य और इनका महत्व। घटना स्थल पर भौतिक सूत्रों को पहचानना व एकत्रित करना, भौतिक पदर्शो का उठाना, पैक करना, लेवल लगाना एवं परिवहन करना
5–अगुष्ठ छाप,महत्व,वर्गीकरण,छाप के प्रकार,एकत्रित करना(उठान और फोटोग्राम लेना),अभिलेखन करना (दस डिजिट एवं एकल डिजिट अभिलेख),पहचानना एवं हथेली की छाप (प्रणाली–व्यख्यान एवं प्रदर्शन)
6–पद छाप–महत्व, स्थल पहचानना, एकत्रीकरण, पहचानना, तलुओं और जूतों की छाप (प्रणाली–व्यख्यान एवं प्रदर्शन)
7–पहचानना–बाल, रेशा, कपड़ा; खून, वीर्य एवं अन्य द्रव्य; मिट्टी, मैल एवं धूल; टायर एवं फिसलन के निशान, शीशा एवं पेन्ट; जलावशेष (प्रणाली–व्यख्यान एवं प्रदर्शन)
8–अभिलेख–समस्यायें एवं सिद्धान्त, जालसाजियॉ, मिटाया जाना, परिवर्तन किया जाना, जोड़ा जाना, विलुप्त किया जाना, जाली मुद्रा एवं सिक्के, हस्तलेख, टंकित लेख, प्रिन्टिड लेख, पेपर एवं स्याही
9–विलुप्त निशानों, टूल निशानों, मैकेनिक विश्लेषण का पुर्नस्थापन (प्रणाली–व्यख्यान एवं प्रदर्शन)
10–एल्कोहल, दवायें, स्वापक द्रव्य/पदार्थ एवं जहर
11–खून–जानवर और मानव–खून समूह
12–डीएनए एवं अनुसंधान में इसका महत्व
13–अस्त्रक्षेप विज्ञान (बैलेस्टिक्स)–आग्नेयाशस्त्र, कारतूस, बुलेट, फायर की दूरी गन शोट रैजीडयू, काला पड़ना और टैटू बनना, फायरिंग पिन की छाप, इक्सट्रैक्टर एवं इजैक्ट्रर के निशान, काला पड़ना और टैटू बनना। विस्फोटक एवं आईईडी (इम्प्रोबाईजड इक्सप्लोसिव डिवाइसिज) की प्रकृति एवं प्रकार। (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
14–इन्फ्रारेड, अल्ट्रावाइलेट एवं एक्स–रेज, भौतिक सामग्री (साक्ष्य) ढूढ़ने एवं अनुसंधान में इनका प्रयोग एवं महत्व (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
15–फोटो में परिवर्तन
16–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत ट्रेप के मामलों में रेगों एवं रसायनों का प्रयोग (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
17–अनुसंधान के मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसे–नारकोऐनेलेसिक, ब्रेन मैपिंग एवं लाइडिटेक्शन
18–पुलिस कार्य मे फोटोग्राफी, घटना स्थल, लेबोरेटरी की एवं न्यायालय कार्य के अन्तर्गत फोटोग्राफी (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
19–संदिग्ध का कम्प्यूटर आधारित चित्रण/चित्र तैयार करना (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रदर्शन)
20–विधि विज्ञान प्रयोगशाला/विशेषा हेतु पत्र/ज्ञापन तैयार करना एवं अग्रसारित करना (प्रणाली–व्याख्यान एवं प्रर्दशन)
21–फिंगर प्रिन्टस का कम्प्यूटराइजेशन, इन्डेक्सिंग, डाटाबैंक, कास चैकिंग करना तथा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरों द्वारा विकसीत आटोमेटेड फिंगर प्रिन्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम।

- नोट–व्याख्यान/दृश्य–श्रव्य सामग्री/केस स्टडी/प्रयोगशाला भ्रमण/व्यावहारिक प्रदर्शनों को अध्यापन प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्देश्यक है कि अधिकारी अपराधें की अनुसंधान में उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने की जानकारी हासिल कर ले।

परिशिष्ट–10A

विधि चिकित्सा शास्त्र(फारेन्सिक मेडिसिन)

अंक–50

कालांश–40

1–पुलिस कार्यो मे विधि चिकित्सा शास्त्र का क्षेत्र (स्कोप) एवं महत्व

2–मेडिकोलीगल साक्ष्य के दृष्टिकोण से घटना स्थल का निरीक्षण

3–यातायात एवं अन्य दुर्घटनाओं से होने वाली चोटों सहित घावों के प्रकारः–

- अग्नि दाह
- बन्दूक की गोली/छर्रा–प्रवेश एवं निकास घाव

4–मृत्यु के कारणों एवं मृत्यु के पश्चात व्यतीत समय पर बल देते हुए मेडिकोलीगल पहलू

5–हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना एवं सवाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु

6–श्वासावरोध–फासी लगाकर मृत्यु, दम घुटने से मृत्यु, श्वांस रोध, गला घोंटकर मृत्यु और डूबकर मृत्यु

7–मृत व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के तरीके :–

- उत्खनन, पोस्ट मार्टम परीक्षण, क्षत–विक्षत मृत शरीर का परीक्षण
- अस्थि अवशेष और लिंग एवं आयु का निर्धारण

8–यौन अपराध–बलात्कार, अवैध गर्भपात एवं बाल हत्या

9–आयु निर्धारण सहित जीवित व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के तरीके

10–अपराध (जीवित एवं मृत शरीर) कारित करने हेतु भरत में साधारणतः प्रयोग में लाये जाने वाले जहरों का मेडिकोलीगल पहलू

11–पोस्टमार्टम एवं मेडिकोलीगल आख्आयों में सामान्यतः प्रयोग किये जाने वाले शब्द

12–घायलों एवं लाशों का परिवहन

13–पोस्टमार्टम एवं मेडीकोलीगल परीक्षण में सामान्यतः प्रयुक्त विभिन्न शब्द/शब्दावली

14–घारदार हथियार द्वारा, नुकीले हथियार द्वारा, आग्नेयास्त्र से, जलने से, बारूद से आई चोटो का मेडिको लीगल दृष्टि से ज्ञान।

- नोट– उपरोक्त विषयों का प्रशिक्षण दिये जाते समय व्याख्यान, दृश्य–श्रव्य सहायकों और केस स्टडी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–11
07. अनुसंधान

कालांश–135 **अंक–150**

1–अनुसंधान का परिचय, अनुसंधान में सामान्य सिद्धान्त एवं चरण
- अनुसंधान अधिकारी की सार दक्षतायें/कौशल
- सूचना एवं अनुसंधान कानूनी पहलू
(द0प्र0सं0 की धारा 154 से 176, राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत उपबन्ध)

2–अपराध का पंजीकरण एवं अपराध स्थलः
- प्रथम सूचना रिपोर्ट का तैयार किया जाना (द0प्र0सं0 की धारा 154 एवं 155) व्यवहारिक अभ्यास सहित
- आपराधिक कार्यवाहियों का स्थलः निरीक्षण और अपराध घटना स्थल का रक्षण–वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा अपराध घटना स्थल का भ्रमण
- अभिलेखन–फोटोग्राफी–स्कैच बनाना–नोट करना–साक्ष्यों की पहचान कर स्थिति निर्धारित करना
- भौतिक साक्ष्यों को उठाना, पैक करना, लेवल करना, लेवल लगाना और सील बन्द करना, परामर्श हेतु पत्र एवं प्रदर्शो को अग्रसारित करना
- प्रदर्शो की अभिरक्षा की कड़ी को बनाये रखना एवं विचारण न्यायालय के सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना।

3–मौखिक साक्ष्य का एकत्रीकरण
- साक्षीगण, संदिग्धों एवं अभियुक्तो का परीक्षण दृश्य श्रव्य रिकॉडिंग सहित
(दं0प्र0सं0 की धारा 160 से 164, 171, 306 से 308। साक्ष्य अधिनियम धारा 24 से 30, 32(1)। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 20(3) 22(1) एवं (2))
- पूछताछ/संज्ञानात्मक साक्षात्कार के सिद्धान्त एवं तकनीकियॉ
- संस्वीकृतिः–न्यायिक गैर न्यायिक (कानून के सुसंगत प्रावधान), मृत्यु कालिक कथन का अभिलेखन (रिकॉडिंग) (कानून की सुसंगत धारायें एवं नियम), स्वीकृति
- अनुसंधान में प्रयोग किये जाने वाले मानक प्रारूप, सीसीटीएनएस
- प्लॉन ड्रांइग

4–अभिलेखीय साक्ष्यों, सम्पत्ति एवं भौतिक वस्तुओं का एकत्रीकरणः– तलाशी एवं जप्ती–जप्ती सूची की तैयारिया (धारा 99,100,102,165 एवं 166 द0प्र0सं0–धारा 61 से 90 भा0सा0अधि0) जप्ती मैमो, तलाशी मैमों आदि

5–पंचनामा (धारा 174 से 176 द0प्र0सं0)–पंचनामा रिपोर्ट का तैयार किया जाना (निर्धारित प्रारूप में)– राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के आदेश एवं निर्देश

6–शिनाख्ता–शारीरिक विशेषताओं का अभिलेखन किया जाना, एक व्यक्ति की शिनाख्त के सम्बन्ध में सिद्धान्त–व्यक्ति एवं सम्पत्ति की टेस्ट शिनाख्त परेड (कैदी की शिनाख्त अधिनियम की सुसंगत धारायें)–पूर्ववत सत्यापन (राज्य पुलिस नियमों के सुसंगत प्रावधान)

7–केस डायरी (द0प्र0सं0 धारा 172)–किया पद्धति केस डायरी लिखना, साक्ष्य चार्ट एवं साक्ष्य मेमों, धारा 161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान लिखना।

8–व्यक्ति एवं स्थान की निगरानी, इलेक्ट्रानिक निगरानी, कॉल डिटेल रिपोर्ट का विश्लेषण

9–गिरफ्तारी –अभिरक्षा–रिमांड–जमानत। अभिरक्षा मेमो का तैयार किया जाना–आख्या का अग्रसारण–(धारा 41 से 60, 167, 436,439 दं0प्र0सं0), गिरफ्तारी मेमों, रिमांड प्राथना पत्र, जमानत बंध पत्र, सूचना शीट, धारा 160 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत नोटिस,हथकड़ी का प्रयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देश

10–आरोप पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट दाखिल करना। अनुसंधान के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेख/थाने के रजिस्टरों में प्रविष्टियॉ। थाना अभिलेख/साफ्टवेयर, जिला अपराध अभिलेख शाखा, एससीआबी, एनसीआरबी एवं अनुसंधान के दौरान एमओबी से सहायता। क्षमा प्रदान किये जाने एवं अप्रूवर सम्बन्धी प्रकिया। प्रत्यार्पण सम्बन्धी प्रकियायें। विचारण अनुश्रवण व्यवस्था। केस के अन्तिम निर्णय के

उपरान्त न्यायालय की अभिरक्षा में रखे हुए अभिलेख एवं नकदी का उन्मुक्त किया जाना। मनःस्वापक एवं निषिद्ध द्रव्यों का विचारण के पूर्व निस्तारण।

11–(अ) विशिष्ट अपराधों की अनुसंधान :–

- गृह भेदन
- लूट एवं डकैती
- जहरखुरानी
- बलात्कार
- बलवा
- हत्या
- हिट एण्ड रन केस
- आगजनी
- जलाकर दहेज हत्या
- अपहरण
- वाहन चोरी
- एनडीपीएस एक्ट के अपराध
- गबन बैंक, इन्श्योरेंस, वाणिज्य, डाकघर, रेलवे में धोखाधड़ी व प्रतिरूपण करने छल।
- लोकसेवक की पोशाक या टोकन धारण करके छल करना।
- रेलवे एक्ट एवं रेलवे सम्पत्ति से संबंधित अपराध
- आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी।
- अपराधियों को विदेशों से बुलाने का ज्ञान।

(ब) अभियोजनः–

- जिला न्यायिक व्यवस्था व मुकदमों की पैरवी।
- विभिन्न न्यायालयों की शक्ति व कार्य विभाजन।
- जिला अभियोजन से संबंधित पदाधिकारियों एवं इनके कर्तव्य
- रिमाण्ड व जमानत की प्रकिया एवं सुनवाई।
- अभियोगों का सत्र न्यायालय में सुपुर्दगी/पैरोल की प्रकिया।
- अपील करने की प्रकिया (कुछ के लॉ दिये जायें जिसमे सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बरी किये जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा सजा दे दी गई अथवा बढ़ा दी गई)
- गवाहों की समस्याओं और उनका निराकरण।

12– अनुसंधान में व्यवहारिक अभ्यास–अपराध स्थल अनुरूपरण–देखभाल परीक्षण, पुलिस पोट्रेट

- उदेश्य प्रशिक्षुओं को वैज्ञानिक एवं कानून सम्मत अनुसंधान की कला से सुसज्जित करना है। व्याख्यान/दृश्य–श्रव्य/केस स्टडी/अनुरूपण अभ्यास एवं फील्ड भ्रमण जैसी किया पद्धति का प्रयोग करते हुए अनुसंधान में विभिन्न चरणों को कमबद्ध तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपराध की अनुसंधान स्वतंत्र रूप से कर सकने हेतु विश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए अनुसंधानकर्ता की हैसियत से दं.प्र.सं. के प्रावधानों के साथ–साथ राज्य पुलिस नियमों/ विनियमों के सुसंगत प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–12
पुलिस थाना प्रबन्धन एवं अपराध नियंत्रण

कालांश–105 अंक–100

1–थाने के सामान्य कार्य :–

पुलिस थाना– अपराधों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था के रख–रखाव के सन्दर्भ में पुलिस स्टेशन के दैनिक किया–कलापों की मोटी–मोटी विशेषताएँ। थाने के प्रभारी अधिकारी के दायित्व एवं शक्तियाँ। थाने के मानव एवं भौतिक संसाधनों के प्रबन्धक के रूप में भूमिका एवं विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की आवश्यकताओं एवं उत्तरदायित्व के प्रति अनुकिया (रिसपोन्स)। अवर निरीक्षकों एवं सहायक अवर निरीक्षकों के दायित्व। थाने पर सिपाहियों/मुख्य सिपाहियों के कार्यो का पर्यवेक्षण। राजकीय भवन एवं थाना सम्पत्तियों का रख–रखाव–आर्म्स एम्यूनेशन की देख–भाल एवं अभिरक्षा। थाने में लॉकअप का रख–रखाव एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को सुरक्षित ले जाना। केस सम्पत्ति का रख–रखाव एवं निस्तारण। पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों का कल्याण।

- **थाने के अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख–रखाव :–**

  थाना अभिलेख:–विभिन्न रजिस्टर एवं उनकी उपयोगिता। राज्य पुलिस नियमों/विनियमों के अनुसार थाने पर अभिलेखों एवं रजिस्टरों के रख–रखाव के संबंध में सामान्य नियम। विभिन्न अभिलेखों एवं रजिस्टरों में प्रविष्टियाँ अंकित करने की प्रकिया।

2–अपराध की रोकथाम:–

अपराध की रोकथाम:– तकनीकें एवं रणनीतियाँ। बीट एवं गश्त उद्देश्य एवं प्रकिया–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीट पद्धति–योजना, फैलाव (डिपलायमेंट) एवं पर्यवेक्षण, इलैक्ट्रॉनिक बीट का परिचय। आपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण–पुलिस को सूचना देने का हेतु (मोटिव)–सूचना के अभिलिखित स्रोत–मुखबिरों का फैलाव एवं रख–रखाव/सूचना देने वाले एवं अभिकर्तागण क्या करें क्या न करें– आपराधिक अभिसूचना के एकत्रीकरण की सहायता में नागरिक सहयोग। आपराधिक अभिसूचना का विकीर्णन (डिसेमिनेशन)

3–निगरानी –उदेश्य एवं तकनीकें

4– कानूनी प्राविधान एवं प्रकियाँ–निगरानी के तौर तरीकों पर न्यायालय के निर्देश ग्राम भ्रमण एवं अपराध की रोकथाम में इसका महत्व।

5–धारा 106, 107, 109, 110, 133, 145, 150 एवं 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत रोकथाम के उपाय एवं रोकथाम की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के लिये रिपोर्ट का बनाया जाना।

6–हिस्ट्रीशीट–व्यक्तिगत पत्रावली व दुष्चरित्र लेख का बनाया जाना। गुहार(हयू एवं काई) नोटिस, अजनबी नामावली, सूचनाशीट आदि।

7– पैरोल उल्लघंन कर्ताओं से व्यवहार (द गुड कन्डक्ट ऑफ प्रिजनर्स प्रोबोसन रिलीज एक्ट नम्बर–10, 1926 धारा– 2 से 8)

8–जमानत उल्लघंन कर्त्ताओं एवं घोषित अपराधियों के साथ व्यवहार (थाना अभिलेख एवं प्रकियाँ)

9–डकैती एवं गृहभेदन जैसे अपराध के विशेष प्रकारों की रोकथाम

10–जमानत का निरस्तीकरण

11–अपराध के माध्यम से प्राप्त की गयी सम्पत्ति की जप्ती (एनडीपीएस एक्ट और प्रीवेंशन और मनी लौन्ड्रिग एक्ट के प्राविधान एवं पीएमएलए में पुलिस की भूमिका)

12–अपराध एवं अपराधियों के अभिलेख :–

- गैंग रजिस्टर एवं गैंग केसेज
- अपराध एवं अपराधियों की कार्य पद्धति

- आवश्यकता एवं महत्व–पुलिस थाना अभिलेख, डीसीआरबी,एससीआरबी,एनसीआरबी,इन्टरपोल
- अपराध अभिलेख प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर अभिलेख सहित इनकी उपयोगिता, अपराध की रोकथाम एवं सीसीटीएनएस

13–काइम मैपिंग

14–अपराध की रोकथाम में सहायता के लिये सामुदायिक पुलिसिंग

3–वायरलेस दूर संचार–

- परिभाषा
- आधार भूत धारणायें एवं दूर संचार नेटवर्क का महत्व
- प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों के प्रकार
- डब्लूएएन का महत्व एवं कार्य
- ध्वन्यात्मक वर्णमाला
- कुछ महत्वपूर्ण आदेश वाक्यांश
- दूरसंचार संवाद के क्या करें व क्या न करें
- सन्देशों की प्राथमिकता
- वायरलेस सेटों की हैण्डलिंग, पुलिस वायरलैस सेटों/सिस्टम में आने वाली सामान्य कमियाँ एवं उनका निराकरण।
- हैण्ड हैल्ड एवं स्टेटिक्स मोबाइल वायरलैस सेटो पर वार्ता करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- संदेश–लेखन एवं वर्गीकरण
- नियन्त्रण कक्ष एवं पुलिस मोबाइल–सीसीआर, डीसीआर की कार्य प्रणाली
- दूरसंचार में आधुनिक पद्धतियाँ
- एच.एफ., इलेक्ट्रॉनिक टेली प्रिन्टर, आर0टी0वाई0, सैटेलाइट कम्यूनिकेशन(पोलनेट), आप्टिकल फाइबर आदि।

परिशिष्ट–13

लोक शान्ति एवं व्यवस्था का रख रखाव

अंक–100

कालांश–100

भाग–I भीड़ एवं अवैध जमाव

अंक–40

कालांश–30

1–भीड मनोविज्ञान एवं व्यवहार, संयुक्त उत्तरदायित्व, सामान्य आशय, अवैध जमाव
2–भीड नियन्त्रण के सिद्धान्त, विभिन्न प्रकार के आन्दोलन कार्यो से निपटने में पुलिस प्रवृत्ति, अभिसूचना संग्रह परामर्श एवं मध्यस्थता। अफवाहें। कानून व्यवस्था की स्थितियों की प्रत्याशा। महिलाओं, छात्रों, श्रमिकों किसानों आदि के आन्दोलनों से निपटने में विशेष समस्यायें। **थाना की दंगा नियन्त्रण योजना का ज्ञान। भीड नियन्त्रण के सम्बन्ध में निरोधात्मक कार्यवाही के प्राविधान।**
3–मेलो एवं त्यौहारों हेतु प्रबन्ध
4–बल प्रयोग और हिंसक भीड से निपटने के कम घातक तरीके
5–दंगारोधी योजनाओं के मोटे–मोटे सिद्धान्त
6–गति, आदेश एवं नियन्त्रण की समस्यायें
7–होमगार्डस, पारामिल्ट्री बलों की नियुक्ति के मोटे सिद्धान्त; समन्वय एवं सहयोग के तरीके।
8–साम्प्रदायिक समस्याओं से निबटना।
9–न्यायिक जांचे–कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट 1952 के मुख्य विशिष्टतायें। पुलिस के सम्बन्ध में जाँच आयोगों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय
10–चुनाव प्रबन्धन
11–प्राकृतिक आपदायों, महत्वपूर्ण दुर्घटना आदि द्वारा उत्पन्न संकट को संभालना।
12–आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका
13–आपदा प्रबन्धन की राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय नीति व योजनायें
14–आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में अन्य विभागों से सामंजस्य
15–आपदा प्रबन्धन में गैर सरकारी संस्थाओं (एन0जी0ओ0) की भूमिका
16–राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम (नेशनल डीजास्टर मैनेजमेंट एक्ट)
17–बचाव एवं राहत कार्य के दौरान–प्राकृतिक आपदायें जैसे बाढ, भूकम्प, चक्रवात, भूस्खलन, तूफान, अतिवृष्टि आदि के समय कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व।
18–बाढ राहत कार्य में पुलिस एवं बीएमपी की भूमिका
19–अन्य आपदायें/बडी दुर्घटनायें–विस्फोट, अचानक भवन गिरना, औद्योगिक दुर्घटना, भगदड इत्यादि के दौरान कार्ययोजना एवं उत्तरदायित्व
20–सडक, रेल एवं वायु दुर्घटनाओं के समय कार्ययोजना एवं पुलिस का उत्तरदायित्व
21–आग की घटनायें–अग्निशमन/बचाव कार्य
22–गम्भीर दुर्घटनाओं/आपदाओं के दौरान घटित होने वाले सामान्य अपराध तथा उसके नियन्त्रण हेतु पुलिस कार्यवाही

भाग–II सुरक्षा

कालांश–20 अंक–20

ए–आंतरिक सुरक्षा

आन्तरिक सुरक्षा का परिचय, प्रचलित परिदृश्य, गैरपराम्परागत आन्तरिक सुरक्षा बिन्दुओं जैसे पर्यावरण सम्बन्धी मामले आदि सहित आन्तरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ एवं सम्बद्ध शाखाएं –

1–आन्तरिक सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए रिपोर्टस का बनाया जाना।

2–बामपन्थी अतिवादी, युद्ध प्रियता, राजद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों और धार्मिक कट्टरवादिता सहित विभिन्न प्रकार के अतिवाद (केस अध्ययनों पर विचार विमर्श)

3–आतंकवाद, राजद्रोह एवं बामपंथी अतिवाद से निपटने के निरोधी उपाय, रणनीति और सामरिक चालें।

4–आन्तरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में अभिसूचना का संग्रह (सफल एवं असफल मामलों की केस अध्ययन)

5–शहरी आतंकवाद, बंधक स्थितियाँ, अतिवाद एवं राजद्रोह से निपटना।

6–आतंकवाद निरोधी एवं राजद्रोह निरोधी अभियान।

बी–वी0आई0पी0 सुरक्षा

कालांश–20 अंक–20

1–अग्रिम सुरक्षा लायजन,प्रवेश नियंत्रण एवं तोडफोड विरोधी परीक्षण सहित वीआईपी सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत।

2–वी0आई0पी0 के लिए सुरक्षा प्रबन्धः–

- ❖ ठहरने के स्थान पर
- ❖ सार्वजनिक सभा में
- ❖ कानवाय प्रबन्ध सहित सडक पर आवागमन के समय
- ❖ हैलिपैड/एयरपोर्ट पर

3–महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संवेदनशील बिन्दुओं की सुरक्षा।

4–सुरक्षा सम्बन्धित उपकरणों का प्रयोग।

भाग–III यातायात प्रबंधन

अंक–20

कालांश–30

ए–आंतरिक सुरक्षा

1–यांत्रिकी, शिक्षा एवं प्रवर्तन सहित यातयात प्रबंधन की आवधारणा एवं तकनीकें।

2–यातायात पुलिस के संगठन एवं कार्य–

3–**सडक सुरक्षा शिक्षाः–** यातायात नियंत्रण उपकरण, सडक चिन्ह, सडक निशान, गति अवरोधक, यातायात संकेत, क्षेत्र यातायात नियंत्रण व्यवस्था, पर्यावरण अवरोधों को हटाया जाना।

4–**यातायात कानूनों प्रवर्तन में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों–** रडार गन, स्वांश विश्लेषक, धुरी भार, तोलना, स्वतः निकास उत्सर्जन विश्लेषक आदि को सम्भालना।

5–**यातयात ड्रिल–**यातायात नियंत्रण के सिद्धांत, हस्तड्रिल द्वारा मानवीय नियंत्रण, सडक ड्रिल के माध्यम से द्वि, त्रयी व बहुखण्डीय यातायात नियंत्रण ।

6–**मोटरवाहन दुर्घटनाएं–**दुर्घटना पीडित को प्राथमिक सुरक्षा, आवागमन रेखा, प्रतिक्रिया समय, स्किड चिन्ह, एंव फोरेन्सिक साक्ष्य, कारण एवं रोकथाम, दुर्घटना डाटा की रिपोर्टिंग/रिकार्डिंग एवं विश्लेषण यातायात कानून एवं नियम महत्वपूर्ण यातायात उल्लंघनों के लिए चालान का तैयार किया जाना थर्ड पार्टी बीमा, मोटर दुर्घटना दावे, मुआवजा योजना, 1989 सडक शिष्टाचार।

7–**वाहनों मे लाल एवं नीली फ्लैश/बत्ती तथा हूटर व सायरन के प्रयोग करने सम्बन्धी नियमों का ज्ञान एवं प्रयोग करने हेतु अधिकृत गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की जानकारी।**

8–**वाहनों का पंजीकरण एवं नियंत्रण**

9–**वाहनों का दुर्घटना बीमा एवं योजनाएँ।**

10–**अन्तः कक्षीय एवं वाह्य कक्षीय शिक्षण को जोडते हुए अनुरूपण अभ्यासों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए**

परिशिष्ट–15
अनुसंधान–प्रयोगात्मक कार्य

कालांश–100 अंक–100

1–अंगुल छाप का उठाना
2–पदछाप का उठाना
3–भौतिक प्रदर्शों को उठाना, पैक करना, लेबल लगाना व अग्रसारित करना
4–चोट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
5–हत्या के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
6–एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
7–चोरी के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान
8–एक घातक दुर्घटना मामले की पूर्ण अनुसंधान
9–एक बलात्कार मामले की पूर्ण अनुसंधान
10–**डकैती/लूट के एक मामले की पूर्ण अनुसंधान।**

नोट–प्रत्येक उप–विषय के लिये 10 अंक निर्धारित है।

- उद्देश्य प्रशिक्षु को जब और जैसे ही उसे थाने में नियुक्त कर दिया जाता है, आत्मनिर्भर रूप से अनुसंधान कर सकने के लिये आत्मविश्वास पूर्ण महसूस करना है। अनुरूपित घटना स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिये और समस्त कानूनी, साक्ष्य सम्बन्धी व प्रकियात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए प्रशिक्षु को अपराध की आत्मनिर्भर रूप से अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिये। अनुभवी पुलिस अनुसंधान अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षु को पूर्ण अन्तिम रिपोर्ट/चालान तैयार करना चाहिये। विधि अधिकारी द्वारा ऐसी अन्तिम रिपोर्ट/चालान का बारीकी से निरीक्षण करके अनुसंधान में हुई प्रकियात्मक चूकों/कर्मियों को उजागर करना चाहिये।

परिशिष्ट–16A
प्रबन्धन तकनीकें

अंक–55

कालांश–40

1–प्रबन्धन की अवधारणा, नेतृत्व – अवधारणा गुण एवं शैली,
2–प्रबन्धन भूमिकायें और प्रबन्धन कार्य
3–सामान्य नेतृत्व के गुण–नवप्रर्वतन और व्यक्तित्व का मूल्यांकन
4–संगठनात्मक व्यवहार–संवाद–मौखिक, लिखित, अशाब्दिकय कार्य सम्पादनात्मक विश्लेषणय संवाद में बाधायें एवं इन पर काबू पाने के उपाय

- सुनने की कला, संवाद में परानुभूति और प्रभावशाली मूल्यांकन (फीडबैक) देने का कौशल
- कार्यस्थल पर कोध और आकमकता पर नियंत्रण करना।
- समूह गतिशास्त्र और दल निर्माण
- संघर्ष/द्वन्द प्रबन्धन पुलिस में अनुप्रयोग हेतु प्रेरणा के सिद्धांत

5–प्रबन्धकीय कौशल
6–मीडिया प्रबन्धन–मीडिया के साथ व्यवहार, सामान्य सिद्धान्त एवं विधिक सन्दर्भ–मीडिया ब्रीफिंग; कसौटी एवं समग्र, क्या करें क्या न करें।

- समय प्रबन्धन
- तनाव प्रबन्धन
- आधारभूत कौशल
- अध्ययन कौशल
- लेखन कौशल
- आख्या लेखन
- कार्यालयी संवाद कौशल
- सुनने का कौशल
- सार्वजनिक बोलने का कला

7–आत्मचेतना–स्वयं एवं स्वयं के आयामों को समझना
8–कर्मिक प्रबन्धन एवं प्रदर्शन मूल्य निर्धारण
9–संघर्षो का प्रबन्ध करना:–अ–वरिष्ठ–अधीनस्थ ब–अन्तर–व्यैक्तिक स–अन्तर–विभागीय
10–पुलिस में संघर्ष समधारः–छात्रों, नवयुवकों, संगठित श्रमिकों, अतिवादियों को संभालना–वार्ता (निगोसियेशन) कौशल पुलिस में मानव संसाधन विकास, परामर्श दायी कौशल एवं अन्तर व्यैक्तिक फीड बैक, अधीनस्थों का विकास करना प्रशिक्षण एवं विकास रणनीतियाँ।

परिशिष्ट–16
मानव व्यवहार एवं प्रबन्धन तकनीकें

अंक–45

कालांश–35

1–मानव व्यवहार को समझना

2–मानव व्यवहार एवं पुलिस की भूमिका

- व्यक्ति वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा वे करते हैं।
- अवबोधन, प्रवृत्ति एवं व्यवहार
- पूर्वाग्रह, रूढियों एवं पक्षपात
- मानव व्यक्तित्व का विकास एवं एक स्थिर व्यक्तित्व की विशेषताएँ
- एक अच्छे पुलिस अधिकारी के गुण
- चिन्ता एवं चिन्ता से निपटना

3–पुलिस का जनता के साथ व्यवहार–इसका महत्व, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन कारित करने के तौर–तरीके

4–औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह–समूह व्यवहार, छोटे समूहों के परिवर्तनशील ढोंचा(पैटर्न) एवं उनके कार्य तथा भीड मनोविज्ञान महत्वपूर्ण सामाजिक समूहों, महत्वपूर्ण परिस्थितियों और छात्रों एवं नवयुवकों, औद्योगिक मजदूरों, किसान असंतोष, साम्प्रदायिक, भाषायी, क्षेत्रीय संघर्षो, राजनैतिक दलों से सम्बन्धित समस्याओं को समझना।

5–पुलिस उप संस्कृत को समझना

6–पुलिस की छवि एवं सुधार के लिये पहलें (ईनीशियेटिवस)

7–पुलिस जनता सम्बन्ध–आवश्यकता एवं सुधार के लिये रणनीतियाँ

8–विभिन्न पुलिस ईकाइयों द्वारा अपनायी गयी अच्छी प्रथायें।

परिशिष्ट–17

कम्प्यूर प्रशिक्षण–प्रयोग एवं उपयोगिता

कालांश–100 अंक–100

1–कम्प्यूटर का पुलिस विभाग में प्रयोग एवं उपयोगिता
2–कम्प्यूटर एवं इसके हिस्सों से परिचय–हार्डवेयर और डाटा स्टोरेज उपकरण–जैसे पैन ड्राइव आदि सॉफ्टवेयर
3–कम्प्यूटर के हिस्सों का केबिल कनैक्शन
4–विन्डों का परिचय
5–विन्डो एप्लीकेशन
6–नोट पैड
7–माई कम्प्यूटर
8–टाइपिंग ट्यूटर
9–एम0एस0 वर्ड का परिचय
10–फाईल बनाना/सेव करना/एम0एस0 वर्ड में खोलना
11–एम0एस0 वर्ड में एडिटिंग करना
12–एम0एस0 वर्ड में व्यू एवं इन्सर्ट कमाण्ड
13–एम0एस0 वर्ड में फर्मेट एवं टूल कमाण्ड
14–एम0एस0 वर्ड में टेबल और फॉन्ट सेटिंग
15–एम0एस0 वर्ड में प्रिन्टिंग कमाण्ड
16–एम0एस0 पावर प्वाईंट का परिचय
17–पावर प्वाईंट में स्लाइड बनाना
18–एम0एस0 एक्सल का परिचय
19–इन्टरनेट और सर्फिंग का उपयोग
20–सी0सी0टी0एन0एस0

Rule - Based CCTNS Application Training

1. All major functionally of registration, investigation, prosecution.
2. All major functionally of Crime, Law and Order, and Traffic
3. Search functionality and MIS reports additional guidelines
    a. The training should focus on the users getting comfortable to use the CCTNS application.
    b. The training is role based and would focus based on user category. A single user might get trained on different modules.
    c. The training would cover compute life cycle of an activity and would have interconnection with different modules of application.
    d. Training would cover basic knowledge on the application and its usage. And also should cover specific use/ working knowledge in depth of each module for the end user.
    e. This training should be in a role based, benchmarked and [illegible] and lead to learning completion and assessment. It should also allow for self [illegible] assessment [illegible] retraining. Training would include mechanism for demonstration using [illegible] simulated/ demo practice exercises and evaluation of trainees.

Training Programme
PC Hardware Truble Shooting/Networking
Topics

1. Introducing PC fundamentals: Types of Computer.
2. Identify PC component/microprocessor, power supply
3. Mother board memory, input-output device.
4. Display card, audio cards, ports, stores device.
5. Networking device.
6. Laptop component, PCMCIA card, IO parts, infrared port.
7. ~~PC start UP processes post.~~ Troubleshooting quiz
8. ~~Microprocessors~~
9. ~~Memory~~
10. power supply
11. Mother board
12. Explain the working of hard disk, install, hard disk
13. Explain the formatting and partitioning of hard disk
14. Install the operating system on the hard disk
15. Install floppy, optical disk drive, trouble shooting
16. Ports key and mouse
17. Printer, modems
18. SCBI devices, video/monitors
19. Device drives, jumpers setting
20. Working with BIOS & CMOS
21. Systems utilities
22. Assembling & disassembling PC
23. Introducing to DOS
24. Windows XP professional
25. Window vista
26. Trouble shooting
27. ~~Managing user accounts & account polices~~
28. IP (Class A,B,C) Cables, checking
29. ~~Managing disk & drives~~
30. Trouble shooting disk, backup of data
31. Managing files & folders
32. Managing local & network printer
33. Internet explorer 7, deleting email, recover email
34. Configure outlook express, creative emails IS
35. ~~Sending & receiving mail, downloading, listening~~
36. Music on net, troubleshoot internet
37. Configure data protection
38. Maintaining & optimizing window vista

39. Recovering from a computer crash
40. Managing service & registry
41. Installing of MS Office & Other S/W
42. Anti-viruses installation
43. Test

21–पी0बी0एस0 का परिचय एवं स्कैच

22–राज्य का विशिष्ट पुलिस सॉफ्टवेयर

23–नेटवर्किंग का परिचय–हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर

24–इंटरनेट–टी0सी0पी0/आई0पी0 प्रोटोकॉल, आई0पी0 एड्रेस स्कीम

- आई0टी0एक्ट0 2000 एवं अन्य अधिनियम तथा संहिताओं में संशोधन
- साइबर अपराध एवं इंटरनेट अपराध–रोकथाम एवं अनुसंधान तथा डिजीटल साक्ष्य को समझना

25–कम्प्यूटर संबंधित अपराध

26–ईमेल एकाउंट बनाना, ई–मेल भेजना/प्राप्त करना/फाइल डाउनलोड करना/ई–मेल ट्रैक करना

27–कम्प्यूटर फोरेन्सिक्स–मुद्दे एवं चुनौतियाँ

28–इलैक्टॉनिक निगरानी तकनीकियाँ, आई0पी0 कैमरा, सेटेलाईट छवियाँ, जी0आई0एस0/जीपीएस, आरएफआईडी तकनीक, साइबर सुरक्षा उद्देश्य प्रशिक्षुओं का कम्पयूटर साक्षर बनाना है।

29–ऑन लाईन टेलीफ़ोन डायरेक्ट्री को एक्सेस करना।

30–कम्प्यूटर वायरस

- कम्प्यूटर वायरस का ज्ञान
- एन्टी वायरस प्रोग्राम का ज्ञान

31–पुलिस विभाग में चल रहे विभिन्न पैकेज/साफ्टवेयर

- पे–रोल
- नामिनल रॉल
- ट्रैफ़िक मैनेजमेन्ट आदि की जानकारी

32–सेल फोन, कैमरा एवं पेन ड्राइव, फ़ैक्स मशीन, फोटो स्टेट मशीन जैसे उपसाधनों एवं वाह्य साधनों की जानकारी एवं प्रयोग।

33–इलेक्ट्रानिक सर्वेलांस–

- कानूनी प्रविधान तथा अनुमति।
- विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।
- मोबाईल फोन की कार्यप्रणाली एवं प्रकार तथा उसके विभिन्न फंगशनों का प्रयोग
- लैण्ड लाईन (बेसिक) एवं डब्ल्यू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली
- प्रदेश में कार्यरत मोबाईल कम्पनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नम्बर
- इलेक्ट्रानिक सर्वेलांस हेतु विभिन्न उपयोगी उपकरण।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस–कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
- फोन टेपिंग–मोबाईल पर संदिग्धों/अपराधियों को सुनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

- मोबाईल फोन एवं नवीनतम उपकरणों का परिचय एवं उनकी कार्यप्रणाली।
- विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।
- इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस–प्रस्तुतीकरण (प्रशिक्षुओं द्वारा स्वय तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा)
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर अधिकारी अपने दैनिक कार्यो में कम्प्यूटर का प्रयोग, कम्प्यूटर पर केस डायरियों एवं अनुसंधान से संबधित अभिलेखों को अंकन सहित करने में समर्थ हो सके।
- इसके हैंड्स ऑन अभ्यासों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाय।

परिशिष्ट–18
पुलिस रेग्युलेशन / नियम / मैनुअल

कालांश–100 अंक–100

1–बिहार पुलिस हस्तक नियम

2–पुलिस आर्डर

3–रैंक और बैज

4–वर्दी पहनने के नियम (ड्रेस रेगुलेशन के अनुसार)

5–साज–सज्जा गोला बारूद, वेतन तथा भत्ते यात्रा संबंधी सामान्य नियम

6–सेवा निवृत्ति–अधिवर्षता, स्वैच्छिक अनिवार्य, शारीरिक अक्षमता के समय मिलने वाली सुविधायें।

7–परिवाद

8–पदक एवं अलंकरण के प्रकार

9–आवासीय सुविधायें (पदवार)

10–चिकित्सीय सुविधा, अवकाश, नियम, अनुमान्य विभिन्न प्रकार के अवकाश

11–सेवा निवृति होने पर अनुमान्य विभिन्न लाभ तथा राजकीय कर्मचारी कल्याण योजनायें

12–(अ) सेवाकाल में कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलने वाले विभिन्न लाभ

(ब) असाधारण पेंशन के नियम।

13–सेवा–अभिलेख–चरित्र पंजिका, सेवा पुस्तिका, व्यक्तिगत पत्रावली

14–सामान्य शाखा व उसके अभिलेख,

15–लेखा शाखा के कार्य एवं उसके अभिलेख (वेतन पत्र, जी0पी0एफ0 बीमा से संबंधित)

16–कल्याण निधि, छात्रवृति, साइकिल, मोटरसाइकिल, कम्प्यूटर एवं भवन निर्माण, भविष्य निधि अस्थायी / स्थायी अग्रिम धन प्राप्त करने के नियम इत्यादि।

17–थाना प्रबंधन

18–पुलिस जवानों के कल्याण कार्यक्रम

19–भोजनालय व्यवस्था।

परिशिष्ट–19

शारीरिक प्रशिक्षण

कालांश–150 अंक–125

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0पी0टी0) (पुरूषों हेतु मानक)

अंको का निर्धारण विषयवस्तु क चार्ट में ही निर्धारित है।

कालांश–60 अंक–50

क0	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	2.4 कि0मी0 दौड़	9.00 मिनट	10.00 मिनट	11.00 मिनट	10	8	9	50 प्रतिशत
2	10 कि0मी0 क्रॉस कन्ट्री दौड़	42 मिनट	45 मिनट	50 मिनट	10	8	6	उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
3	चिन अप्स	10	9	8	10	8	6	तदैव
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स	40	38	35	10	8	6	तदैव
5	5 मीटर्स शटल	16	15	14	10	8	6	तदैव

टिप्पणी–

1–शारीरिक दक्षा परीक्षण हेतु पोशाक–पी0टी0 ड्रेस

2–प्रतिभागी जो एक इभेन्ट में अनुत्तीर्ण होगा, अन्तिम परीक्षा में उस इभेन्ट में पुनः सम्मिलित होगा।

बैटल फिजिकल एन्ड्योरेन्स टेस्ट (समय पुरूषों हेतु)

कालांश–20 अंक–30

क्रमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	5 कि0मी0 दौड़	25.00 मिनट	27.00 मिनट	30.00 मिनट	10	8	6	50 प्रतिशत
2	50 मीटर तीव्र दौड़	9 सेकेण्ड	10 सेकेण्ड	11 सेकेण्ड	10	8	6	50 प्रतिशत
3	9 मीटर गढ़ढा (9x9 मय 2.5 पानी)	Clear(स्पष्ट पार करना)			4 अंक			उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण
4	सामानान्तर रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव

टिप्पणीः–

- उपरोक्त वी0पी0ई0टी0 बी स्केल से किए जाते है (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट एवं बैकपैक) व रायफल सहित
- प्रतिभागी को सभी इभेन्ट पास करने है। यदि एक इभेन्ट में अनुत्तीर्ण होता है तो अन्तिम परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी0पी0टी0) (महिलाओं हेतु मानक)

कालांश–50

अंक–50

कमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	2.4 कि0मी0 दौड़	12.00 मिनट	13.00 मिनट	14.00 मिनट	10	8	6	50 प्रतिशत
2	100 मीटर दौड़	16.00 सेकेण्ड	18.00 सेकेण्ड	20.00 सेकेण्ड	10	8	6	उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
3	चिन अप्स	6	5	4	10	8	6	तदैव
4	घुटने मोड़कर सिट अप्स	35	30	25	10	8	6	तदैव
5	5 मीटर्स शटल (एक मिनट)	14	13	12	10	8	6	तदैव

टिप्पणी–

1–पी0पी0ई0टी0 हेतु ड्रेस (पी0टी0 ड्रेस)

2–प्रतिभागी यदि एक आइटम में अनुत्तीर्ण है, अन्तिम परीक्षा में उक्त आइटम में सम्मिलित होगा।

3–प्रथम बी0पी0ई0टी0 व पी0पी0ई0टी0 दो माह की बेसिक ट्रेनिंग के बाद सम्पन्न होगा। इसके बाद प्रतिमाह।

बी0पी0ई0टी0 (महिलाओं हेतु समय का मानक)

कालांश–20

अंक–30

कमांक	परीक्षण	दक्षता स्तर			अंक			उत्तीर्ण
1	5 कि0मी0 दौड़	31.00 मिनट	33.00 मिनट	35.00 मिनट	10	8	6	50 प्रतिशत
2	50 मीटर तेज दौड़	11 सेकेण्ड	12 सेकेण्ड	13 सेकेण्ड	10	8	6	50 प्रतिशत
3	9 फिट गढ्ढा पानी सहित	Clear(स्पष्ट पार करना)			4 अंक			उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण
4	सामानान्तर रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव
5	लम्बवत रस्सा	Clear(स्पष्ट पार करना)			3 अंक			तदैव

टिप्पणी:–

- उपरोक्त वी0पी0ई0टी0 बी स्केल से किए जाते है (मच्छरदानी या ग्राउण्डशीट व बैकपैक) रायफल सहित।
- प्रतिभागी को सभी इभेन्ट पास करने है।

दौड़ 100 मीटर

कालांश–05 अंक–10

पुरूष– 100 मीटर			महिला– 100 मीटर		
क0सं0	विषय	अंक	क0स0	विषय	अंक
1	12 सेकेण्ड में	10	1	14.00 सेकेण्ड में	10
2	12.01 से 12.30 सेकेण्ड में	08	2	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	08
3	12.31 सें 13.00 सेकेण्ड में	06	3	14.31 से 15.00 सेकेण्ड में	06
4	13.01 से 13.30 सेकेण्ड में	04	4	15.01 सें 15.30 सेकेण्ड में	04
5	13.31 से 14.00 सेकेण्ड में	02	5	15.31 से 16.00 सेकेण्ड में	02
6	14.01 से 14.30 सेकेण्ड में	01	6	16.01 से 16.30 सेकेण्ड में	01

दौड़ 400 मीटर

कालांश–05 अंक–05

पुरूष			महिला		
क0 सं0	विषय	अंक	क0 स0	विषय	अंक
1	01 मिनट तक	05	1	1.10 मिनट तक	05
2	01.01 से अधिक समय से 1.05 मिनट तक	4.50	2	01.11 से अधिक समय से 01.15 मिनट में	4.50
3	01.06 से अधिक समय से 1.10 मिनट तक	04	3	01.16 से अधिक समय से 01.20 मिनट में	04
4	01.11 से अधिक समय से 1.15 मिनट तक	3.50	4	01.21 से अधिक समय से 01.25 मिनट में	3.50
5	01.16 से अधिक समय से 1.20 मिनट तक	03	5	01.26 से अधिक समय से 01.30 मिनट में	03
6	01.21 से अधिक समय से 1.25 मिनट तक	02	6	01.31 से अधिक समय से 01.35 मिनट में	02
7	01.26 से अधिक समय से 1.30 मिनट तक	01	7	01.36 से अधिक समय से 01.40 मिनट में	01

किकेट बॉल थ्रो

कालांश–05 अंक–05

पुरूष			महिला		
क0सं0	दूरी	अंक	क0स0	दूरी	अंक
1	70 मीटर थ्रो	05	1	30 मीटर थ्रो	05
2	60 मीटर थ्रो	04	2	25 मीटर थ्रो	04
3	50 मीटर थ्रो	03	3	20 मीटर थ्रो	03
4	40 मीटर थ्रो	02	4	15 मीटर थ्रो	02
5	35 मीटर थ्रो	01	5	10 मीटर थ्रो	01

दण्ड (पुरूष) रस्सी कूद (महिला)

कालांश–05 अंक–05

पुरूष			महिला		
क0सं0	विषय	अंक	क0स0	विषय	अंक
1	01 मिनट में 30 दण्ड	05	1	01 मिनट में 100 जम्प	05
2	01 मिनट में 25 दण्ड	04	2	01 मिनट में 90 जम्प	04
3	01 मिनट में 20 दण्ड	03	3	01 मिनट में 80 जम्प	03
4	01 मिनट में 15 दण्ड	02	4	01 मिनट में 70 जम्प	02
5	01 मिनट में 10 दण्ड	01	5	01 मिनट में 50 जम्प	01